रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236627
CG-DL-E-16062022-236627

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2022/ज्येष्ठ 25, 1944
No. 155] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2022/JYAISTHA 25, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

(बागवानी प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

फा. सं. 11-7/2009-बागवानी II.—कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीपीए) का मूल रूप से रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में 1981 में गठन किया गया था, जिसने 1993 से कृषि एवं सहकारिता विभाग में कार्य करना शुरू कर दिया। 1996 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इस समिति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और बागवानी में प्लास्टिक के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए समन्वित रीति से इसके कार्यों को केंद्रित करने के लिए एनसीपीए का राष्ट्रीय बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग समिति (एनसीपीएएच) के रूप में 2001 में पुनर्गठित किया गया था । तत्पश्चात एनसीपीएएच का दिनांक 01 जून, 2019 को 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्व में पुनर्गठन किया गया था । 2020 में समिति का नाम बदलकर राष्ट्रीय सुनियोजित कृषि और बागवानी समिति (एनसीपीएएच) किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सुनियोजित कृषि और बागवानी समिति (एनसीपीएएच) (एतद्पश्चात समिति के रूप में संदर्भित) का पुनर्गठन किया जाए।

समिति का गठन एवं विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्न प्रकार से हैं :—

क. गठन:

1.	केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	- अध्यक्ष
2.	कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	- उपाध्यक्ष
3.	सचिव (एएंडएफडब्ल्यू), डीएएंडएफडब्ल्यू	- सदस्य
4.	सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	-यथा-
5.	सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (आईसीएआर)	-यथा-
6.	सचिव, जल संसाधन , नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	-यथा-
7.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	-यथा-
8.	विशेष सचिव/अपर सचिव, बागवानी विभाग प्रभारी, डीएएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
9.	कृषि आयुक्त, डीएएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
10.	उप-महानिदेशक (बागवानी), आईसीएआर	-यथा-
11.	वित्त सलाहकार, डीएएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
12.	प्रधान सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	-यथा-
13.	संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), डीएएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
14.	प्रबंध निदेशक (एसएफएसी), नई दिल्ली	-यथा-
15.	संयुक्त सचिव (आरएफएस), डीएएंडएफडब्ल्यू	-यथा-
	चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	
16.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), कर्नाटक सरकार	सदस्य
17.	प्रधान सचिव (कृषि/बागवानी), गुजरात सरकार	-यथा-
18.	कृषि उत्पादन आयुक्त, पंजाब सरकार	-यथा-
19.	प्रधान सचिव (बागवानी), उत्तराखंड सरकार	-यथा-
	नाबार्ड के प्रतिनिधि	
20.	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, मुंबई	- सदस्य
	भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि	
21.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	- सदस्य
	सदस्य सचिव	
22.	बागवानी आयुक्त	- सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय

i. कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स/ऐरोपोनिक्स, सौर्य ऊर्जा चलित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ऑटोमेशन तथा सेंसर आधारित प्रौद्योगिकीयों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि जैसे स्मार्ट/भविष्य में फार्मिंग होने वाले मॉडल का विकास करना तथा सुनियोजित कृषि के संदर्भ में उत्पादों की गुणवत्ता के मानकों का विकास करना, कम लागत वाली प्रणाली के प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए उत्पाद/घटक, निर्माताओं/प्रसंस्करकों के साथ समन्वय करना।

ii. समर्पित वेब-पोर्टल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली जल संवर्धन, उर्वरक संर्वधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन, प्रयुक्त प्लॉस्टिकों की रिसाइक्लिंग के संदर्भ में स्थान-विशिष्ट परामर्शिकाओं का विकास करना एवं वास्तविक समय (रीयल टाईम) के आधार पर तकनीकी परामर्श, फीडबैक प्रदान करना।

iii. देश में सुनियोजित कृषि एवं बागवानी का विकास करने हेतु अर्धोपाय का सुझाव देना तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग संगठनों एवं सरकारी एजेंसियों के संसाधनों को मिला करके सुनियोजित कृषि पद्धतियों के संदर्भ में अग्रणी प्रौद्योगिकीयों का वैधीकरण करना।

iv. अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रदर्शनों, विस्तार और प्रसार को प्रोत्साहित एवं पुन:सत्यापित करना तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित सुनियोजित कृषि विकास केंद्र के माध्यम से सुनियोजित कृषि, अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच उपयोगकर्ता-हितैषी मौसम/फसल आधारित कृषि जलवायु विभेदित प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा देना , पहचान करना तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार शोध कर प्रदर्शन के माध्यम से प्रचार करना।

v. नीतिगत उपायों हेतु देशभर के अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त कृषि सवस्त्र-हित प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों का संकलन एवं आंकड़ा इकट्ठा करके सुनियोजित कृषि पर प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन तथा कृषि कार्यक्रमों का संचालन करना।

एनसीपीएएच की अवधि संकल्प जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। अध्यक्ष की सहमति से गैर-सरकारी सदस्य पद ग्रहण करेंगे। समिति की बैठक जब कभी आवश्यक होगी तभी आयोजित की जाएगी लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। समिति सरकार को वार्षिक आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

समिति को अपेक्षित अनुसचिवीय सहायता एनसीपीएएच के केंद्रीय समन्वय सैल द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें इंडियन पेट्रो केमिकल्स कॉरपोरेशन लि. या अन्य उपयुक्त एजेंसी से लिए गए कार्मिक शामिल हैं। सदस्य सचिव द्वारा एनसीपीएएच के दैनिक कार्यकलापों की निगरानी की जाएगी और यह निकाय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्जिक्यूटिव) के रूप में कार्य करेंगे।

अन्य पदेन सदस्यों के संबंध में इस प्रकार के व्यय की राशि को उनके संबंधित विभागों द्वारा वहन किया जाएगा।

डॉ. प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMER'S WELFARE

(Department of Agriculture and Farmer's Welfare)

(HORTICULTURE DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June, 2022

F. No. 11-7/2009-Hort.II.—The National Committee on use of Plastics in Agriculture (NCPA) which was originally constituted in the Department of Chemicals and Petrochemicals in 1981 has been functioning in the Department of Agriculture & Cooperation since 1993. It was reconstituted in 1996. In order to make this committee more effective and to focus its endeavour in a coordinated manner for promoting the applications in Horticulture, NCPAH was reconstituted in 2001 as National Committee on Plasticulture Applications in Horticulture (NCPAH). Thereafter, NCPAH was last constituted on 01.06.2019 for a period of three years. In 2020, the name of the committee was changed as National Committee on Precision Agriculture & Horticulture (NCPAH). Now, it has been decided to reconstitute National Committee on Precision Agriculture & Horticulture (NCPAH) (hereinafter referred as the Committee) under the Department of Agriculture & Farmers Welfare.

The composition and Terms of Reference (TOR) of the committee are as under:—

A. Composition:

1.	Union Agriculture & Farmers Welfare Minister	- Chairman
2.	Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare	- Vice-Chairman
3.	Secretary (A&FW), DA&FW	- Member
4.	Secretary, Dept. of Chemicals & Petrochemicals	- do -
5.	Secretary (DARE) & DG (ICAR)	- do -
6.	Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation	- do -
7.	Secretary, M/o Panchayati Raj	- do -
8.	Special Secy./Addl. Secretary, I/c of Horticulture, DA&FW	- do -
9.	Agriculture Commissioner, DA&FW	- do -
10.	Dy. Director General (Hort.), ICAR	- do -
11.	Financial Advisor, DA&FW	- do -
12.	Principal Advisor (Agri.), Niti Aayog	- do -
13.	Joint Secretary (MIDH), DA&FW	- do -
14.	MD (SFAC), New Delhi	- do -
15.	Joint Secretary (RFS), DA&FW	- do -
	Representatives of four State Governments	
16.	Principal Secretary (Agri/Hort.), Govt. of Karnataka	- Member
17.	Principal Secretary (Agri/Hort.), Govt. of Gujarat	- do -
18.	Agriculture Production Commissioner, Govt. of Punjab	- do -
19.	Pr. Secretary (Horticulture), Govt. of Uttarakhand	- do -
	Representative of NABARD	
20.	Chief General Manager, NABARD, Mumbai	- Member
	Representative of Bureau of Indian Standards	
21.	Director General Bureau of Indian Standards, New Delhi	- Member
	Member Secretary	
22.	Horticulture Commissioner	- Member Secretary

Terms of Reference

I. To develop smart/future farming model such as Vertical farming, Hydroponics/Aeroponics, Solar powered Integrated Micro Irrigation System, Automation and Sensor based technologies, Artificial Intelligence etc. in agriculture & horticulture and coordinate with product/component

manufacturers/processors for developing quality standards on products w.r.t precision farming, Developing technology with reduce system cost.

II. To develop site-specific advisories w.r.t water savings, fertilizer savings, wastewater management, recycling of plastics used in Agri. Sector through dedicated web-portal and to provide technical consultation, feedback on real time basis.

III. To suggest ways and means for promotion of Precision Agriculture & Horticulture in the country and revalidate the cutting-edge technologies w.r.t precision farming practices by dovetailing with International Institutions, Plastic engineering organizations and supporting Govt. agencies.

IV. To encourage, identify and conduct applied research, demonstrations, extension & dissemination of user-friendly weather/crop based agro-climatically differentiated technologies among end users in the field of precision farming, wastewater management and plastic engineering through Precision Farming Development Centre located in different parts of the country.

V. To conduct Impact Evaluation Studies and Agri. Events on Precision agriculture with a view to collect & consolidate data on plastic engineering applications including agro-textiles by end users across the country for policy measures.

The term of NCPAH will be for a period of three years from the date of issue of the Resolution. The non- official members shall hold office during the pleasure of the Chairman. The committee shall meet as often as necessary but at least once in a year. The committee shall submit the report to the Government on annual basis.

The secretarial assistance required for the committee will continue to be provided by the Central Coordination cell of NCPAH consisting of personnel drawn from the erstwhile Indian Petrochemicals Ltd. or any other suitable agency. The Member Secretary will oversee the day to day activities and function as Chief Executive on the body.

The corresponding expenditure in respect of ex-officio member will be borne by their respective departments.

Dr. PRABHAT KUMAR, Horticulture Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.16 16:08:58 +05'30'